अपील सूचना अधिकार संख्या 53/2018 उम्मेद सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह वार्ड नं. 1, दुर्गा मंदिर के पास, आर.सी.पी. कॉलोनी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26–09–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री उम्मेद सिंह उपस्थित नही है। विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित नही है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 16.05.2018 लोक सूचना अधिकारी एवंम उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को प्रस्तुत कर सूचनाए चाही थी जो उसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि मे उपलब्ध नही करवाई गई है इसलिए उसके द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना की गई है कि लोक सूचना अधिकारी को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तहत दण्डित किया जावे और वांछित सूचनाए उपलब्ध करवाई जावे।

पत्रावली के अवलोकन से यह पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी,अनूपगढ़ से सूचनाए प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2018 प्रस्तुत किया था जिसमें उसने निम्न सूचनाए चाही थीः–

1. श्री गिरधारी स्वामी पुत्र श्री रामकिशन स्वामी, पत्रकार (सीमा सन्देश) स्वामी न्यूज एजेन्सी, वार्ड नं. 2, अनूपगढ़ (मो. 9414503452, 9549755995) द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना लेने के लिए किये गये आवेदनों की प्रमाणित फोटोप्रति उपलब्ध करवाये।
2. उपरोक्त व्यक्ति द्वारा सूचना लेने हेतु कितनी फीस जमा करवाई गई है।
3. उपरोक्त व्यक्ति द्वारा सूचना मांगने के पश्चात सूचना प्राप्त की गई अथवा नहीं तथा सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जाये।
4. अगर सूचना नहीं ली गई है तो कारण अथवा सूचना की आवश्यकता नहीं होने/सूचना नहीं लेने के लिए सहमति दी गई है तो सहमति पत्र की फोटोप्रति उपलब्ध करवायें।
5. उक्त मांगी गई सूचनाओं का विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा क्या निस्तारण किया गया की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।
6. श्री गिरधारी स्वामी द्वारा उक्त प्राप्त सूचनाओं को विभाग में उच्चाधिकारियों के समक्ष यदि कोई शिकायत/पत्र लिखा गया है तो उसकी भी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के अपील पत्र पर लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र 1562 दिनांक 16.08.2018 से निम्न प्रकार सूचित किया है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक : रिकार्ड/सू.का अधिकार/18/1168 दिनांक 15.06.2018 से प्रार्थी को सूचनार्थ प्रषित करते हुए प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को प्रषित की गई थी। सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र चित्रप्रति इस पत्र साथ संलग्न कर श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रषित है। कृप्या अपील दाखिल दफतर फरमावें।

उक्त पत्र में अकिंत प्रतिवेदन दिनांक 15.06.2018 द्वारा अपीलार्थी /प्रार्थी को चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से सूचित किया गया।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिनियम 2005 की धारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना प्रश्न वाचक है तथा आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जिस प्रारूप में सूचना चाही गई है। उस रूप में सूचना इस कार्यालय में संधारित नहीं है। आपके लिए पृथक से संधारित कर सूचना उपलब्ध करवाने का प्रावधान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत नहीं है। प्रत्यूतर सूचनार्थ प्रेषित है।

उप जिला कलक्टर
अनूपगढ़

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2018 से चाही गई सूचनाएं प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नयी सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रदत सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ द्वारा पत्र सं0 1168 दिनांक 15.06.2018 से अपीलार्थी/प्रार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज की जाती है आदेश की एक प्रति अपीलार्थी को व सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अनुपगढ़ को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर